

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या-03/कृ०बजट-आवंटन-20/2015-

297 आवंटन कृ०, पटना, दिनांक

31/3/

,2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Mail/Fax

सेवा में,

विषय :

निदेशक उद्यान, बिहार, पटना।

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन माइक्रो इरिगेशन अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान लागत (60:40) अंतर्गत केन्द्रांश ₹500.00 लाख एवं समानुपातिक राज्यांश ₹333.336 लाख के साथ राज्यांश मद से अतिरिक्त अनुदान ₹518.02216 लाख है। केन्द्रांश, राज्यांश तथा अतिरिक्त राज्यांश के साथ योजना का कुल आकार ₹1351.35816 लाख (तेरह करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार आठ सौ सोलह रु०) के लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹13,51,35,816 (तेरह करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार आठ सौ सोलह रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय :

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-422 दिनांक-30.03.2016 द्वारा केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन माइक्रो इरिगेशन अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान लागत (60:40) अंतर्गत केन्द्रांश ₹500.00 लाख एवं समानुपातिक राज्यांश ₹333.336 लाख के साथ राज्यांश मद से अतिरिक्त अनुदान ₹518.02216 लाख है। केन्द्रांश, राज्यांश तथा अतिरिक्त राज्यांश के साथ योजना का कुल आकार ₹1351.35816 लाख (तेरह करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार आठ सौ सोलह रु०) के लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹13,51,35,816 (तेरह करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार आठ सौ सोलह रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹13,51,35,816 (तेरह करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार आठ सौ सोलह रु०) मात्र में से केन्द्रांश-₹4,15,00,000 (चार करोड़ पन्द्रह लाख रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-खाद तथा उर्वरक, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0207-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड- P2401001050207, विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹13,51,35,816 (तेरह करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार आठ सौ सोलह रु०) मात्र में से केन्द्रांश-₹80,00,000 (अस्सी लाख रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0238-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड- P2401007890238, विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹13,51,35,816 (तेरह करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार आठ सौ सोलह रु०) मात्र में से केन्द्रांश-₹5,00,000 (पाँच लाख रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0258-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड- P2401007960258, विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उपरोक्त ₹13,51,35,816 (तेरह करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार आठ सौ सोलह रु०) मात्र में से राज्यांश ₹7,06,62,727 (सात करोड़ छः लाख बासठ हजार सात सौ सताईस रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-खाद तथा उर्वरक, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0307-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड- P2401001050307, विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. उपरोक्त ₹13,51,35,816 (तेरह करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार आठ सौ सोलह रु०) मात्र में से राज्यांश ₹1,36,21,731 (एक करोड़ छत्तीस लाख ईक्कीस हजार सात सौ एकतीस रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0338-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड- P2401007890338,

सुभा

31/3/16

विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

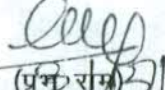
7. उपरोक्त ₹13,51,35,816 (तेरह करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार आठ सौ सोलह रु०) मात्र में से राज्यांश ₹8,51,358 (आठ लाख एकावन हजार तीन सौ अन्तावन रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0358-राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड- P2401007960358, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 वि० (2) दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

5. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,



निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/क०, पटना दिनांक 31/3/2016

ज्ञापांक-

297 आवंटन

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-

महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-

297 आवंटन

प्रतिलिपि-

वित्त विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/निदेशक, उद्यान बिहार पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र आरा/ पूर्णियाँ/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना शाखा, (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक, (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

कृषि विभाग, बिहार, पटना।